बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं०सं० :–2/अ०प्र०–1–91/2023 2554 /पटना, दिनांक :– 25-9-24

श्री निकेत कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ को कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ अंतर्गत पैसे के लेन–देन संबंधी वॉयरल विडियो में कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ के पदाधिकारी एवं कर्मी द्वारा अवैध रूप से पैसे के लेन–देन संबंधी मामले में अधिसूचना सं0–1455 दिनांक 13.06.2023 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत मामले की विस्तृत जॉच हेतु श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1436 अनु0 दिनांक 27.05.2024 द्वारा मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. मुख्य अभियंता–4–सह संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1213 अनु0 दिनांक 23.08.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त उससे असहमत होते हुए श्री कुमार से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(2) के तहत द्वितीय कारण पृच्छा किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. इस बीच श्री कुमार द्वारा निलंबन से मुक्त किये जाने संबंधी अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार द्वारा उल्लेखित है कि निलंबन के कारण उनकी पत्नी की गंभीर बीमारी (कैंसर) का समुचित ईलाज नहीं हो पा रहा है एवं बच्चे की पढाई में व्यवधान हो रहा है। इसके अतिरिक्त श्री कुमार द्वारा मामले में दर्ज प्राथमिकी में उन्हें अग्रिम जमानत प्राप्त होने तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा प्राथमिकी के Proceeding पर Stayed लगा दिये जाने का उल्लेख किया गया।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार का निलंबन अवधि एक वर्ष से अधिक होने एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में इन्हें निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री निकेत कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता(कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय– अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद का कार्यालय को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

6. श्री कुमार के निलंबन अवधि का विनियमन विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर किया जायेगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25/09/24

(डा0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

r.k.ranjan draft 2024/section-3/letter.docx

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–91/2023 2554 /पटना, दिनांकः– 25.9.24

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

25/09/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–91/2023 2554 /पटना, दिनांकः– 25.9.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/09/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–2/अ०प्र०–1–91/2023 2554 /पटना/दिनांकः– 25.9.24

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग/ आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री निकेत कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता(कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ, मुख्यालय–अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/09/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–91/2023 2554 /पटना/दिनांकः– 25.9.24

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

25/09/24
संयुक्त सचिव